उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध रिवीजन वाद संख्या–58 / 2023

महेन्द्र सिंह बनाम् कन्हैया प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21/03/25	इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में कन्हैया प्रसाद अग्रवाल, पिता–स्व० रामशंकर प्रसाद अग्रवाल द्वारा समर्पित विविध अपील आवेदन के आलोक में दायर विविध अपील वाद संख्या–02 / 2022–23 कन्हैया प्रसाद अग्रवाल बनाम महेन्द्र सिंह में दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध U/s – 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत रिवीजन दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा–धुटुवा, थाना–पतरातू के खाता संख्या–19 प्लॉट संख्या–979 रकवा–0.84 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के विविध अपील वाद संख्या–02 / 2022–23 कन्हैया प्रसाद अग्रवाल बनाम महेंद्र सिंह में दिनांक–12.05.2023 के पारित आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित है। विषयगत वाद की भूमि मौजा–धुटुवा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ में स्थित खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसका खतियानी रैयत बिगलाल सिंह पुत्र हुथला सिंह है। उक्त भूमि अपीलार्थी के हिस्से में आई। अपीलार्थी द्वारा अंचल कार्यालय, पतरातू में समर्पित आवेदन के आलोक में दिनांक–15.06.2022 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत की गई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा राम शंकर प्रसाद साव, राम शंकर प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय हीरा साव के नाम से चल रही अवैध रजिस्टर–II के पेज संख्या–173 / I पर दर्ज जमाबंदी को स्थगित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध विपक्षी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ की न्यायालय में विविध अपील संख्या–02 / 2022–23 कन्हैया प्रसाद अग्रवाल बनाम महेंद्र सिंह दायर की गई। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने दिनांक–12.05.2023 को अपील को स्वीकार करने और विविध वाद संख्या–19 / 2022 में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा पारित	

आदेश के तथ्यों को समझे बिना विधि–विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। विपक्षी द्वारा निबंधित डीड संख्या–1034, दिनांक–11.03.1960 के माध्यम से खाता सं०–69 प्लॉट सं०–679 रकवा–0.84 एकड़ भूमि जो मौजा–घुटुवा के खाता संख्या–4 की भूमि है व जिसके खतियानी रैयत सोमलाल बेदिया व अन्य है, खरीदा गया। जबकि खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ भूमि विपक्षी की खतियानी भूमि है। यहां विपक्षी के खरीदगी भूमि व अपीलार्थी के खतियानी भूमि का खाता और प्लॉट सं० अलग–अलग हैं, यानी स्पष्ट है कि पूर्व से खाता नं०–69 प्लॉट नं०–679 का विपक्षी के नाम से जमाबंदी रजिस्टर–II पृष्ठ संख्या–173/I पर खोली गई थी और प्रथम लगान रसीद वर्ष–1964 में जारी की गई थी। जिससे अपीलार्थी का कोई लेना–देना नहीं है। विपक्षी के पक्ष में खाता सं०–69 प्लॉट सं०–679 के संबंध में निबंधित डीड निष्पादित किया था और जो खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 अपीलार्थी की जमीन से अलग है। प्रश्नगत भूमि से सबंधित टाइटल सूट संख्या–68/2021 ललिता देवी एवं अन्य बनाम सेवरतिया देवी एवं अन्य में सिविल जज (सीनियर डिविजन) VI, रामगढ़ की अदालत में लंबित है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने विविध वाद संख्या–19/2022 के जाँच प्रतिवेदन में खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा पाया। फलतः अंचल अधिकारी, पतरातू ने खाता सं०–69 प्लॉट सं०–979 की अपीलार्थी के पक्ष में जमाबंदी खोल दी गई। अपीलार्थी का वास्तविक भौतिक कब्जा खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ की भूमि पर बरकरार है। विपक्षी कभी भी खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ की भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी ने निबंधित डीड संख्या–1034/1960 दिनांक–11.03.1960 और काबुलियतनामा संख्या–134/1967 दिनांक–05.01.1967 के निबंधित डीड में छेड़छाड़ करते हुए धोखाधड़ी करके खाता संख्या के तहत संयुक्त रूप से किराया लगान रसीद जारी करवाने में सफल हो गया जिसमें खाता संख्या गलत अंकित है। निबंधित डीड संख्या–1034/1960 तथा काबुलियतनामा संख्या–134/1967 में पूर्वी भाग की चौहद्दी क्रेता बिगन राम अग्रवाल के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह उल्लेख किया जाना है कि निकटवर्ती भूमि के सबंध में गदौरी सिंह पुत्र इंद्रनाथ सिंह द्वारा बिगन राम अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित निबंधित डीड संख्या–2028/1960 दिनांक–13.05.1960 के अनुसार पूर्वी भाग की ओर सीमा को निबंधित डीड संख्या–1034/1960 दिनांक–11.03.1960 के निष्पादन से दो माह पूर्व दर्शाया गया था। दुबराज सिंह नामक व्यक्ति ने खाता सं०–69, प्लॉट सं०–697 रकवा–0.84 एकड़ भूमि के संबंध में रामशंकर प्रसाद अग्रवाल के पक्ष में निबंधित डीड संख्या–1034/1960 दिनांक–11.03.1960 को निष्पादित किया। कबीराज सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह ने खाता सं०–69, प्लॉट सं०–697 रकवा–0.84 एकड़ भूमि के संबंध में काबुलियतनामा संख्या–134/1967 दिनांक–05.01.1967 को निबंधित डीड निष्पादित किया। उपर्युक्त निबंधित डीड में सम्मिलित प्लॉट सं०–979, 987 और 988 के साथ संयुक्त सीमा का उल्लेख किया गया था। विपक्षी ने निबंधित डीड संख्या–1034/1960 दिनांक–11.03.1960 तथा निबंधित काबुलियतनामा संख्या–134/1967 दिनांक–05.01.1967 में छेड़छाड़ करके निम्न न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके संयुक्त रूप से खाता सं०–30, 69 के अन्तर्गत लगान रसीद

जारी करवाने मे सफल हो गये। विपक्षी का बिक्री विलेख वर्ष–1960 का है और कई दशकों के बीत जाने के बाद प्रतिवादी इसे सुधारना चाहता है जो कानून की नजर में विधि–सम्मत नहीं है। यह सर्वविदित है कि रजिस्ट्रार–II में किसी भी अनियमितता के लिए अंचल अधिकारी, पतरातू को प्रारंभिक चरण में संरक्षक होने के नाते संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा दिनांक–02.07.2022 को पारित आदेश मौजा–घुटुवा थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 रकवा–0.84 एकड़ से संबंधित है जबकि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश मौजा–घुटुवा थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के खाता सं०–69 प्लॉट सं०–679 रकवा–0.84 एकड़ से संबंधित है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा दायर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन तथ्यों या कानून के आधार पर स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण मामला उन तथ्यों को छिपाकर दायर किया गया है कि वास्तव में उसके पूर्वजों ने 62 साल पहले प्रतिवादी के पिता के पक्ष मे जमीनें बेच दी थीं और 62 साल बीत जाने के बाद जमीनों को हड़पने के दुर्भावनापूर्ण और इरादे से ऐसा किया गया। अपीलार्थी राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से अंचल अधिकारी, पतरातू से अवैध आदेश प्राप्त करने में सफल रहे, जिसके कारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने अंचल अधिकारी, पतरातू के आदेश को तथ्यों एवं दस्तावेज के आधार पर निरस्त कर दिया। अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से विपक्षी के नाम से खोली गई Long Runing जमाबंदी को स्थगित कर दिया है। जबकि कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय ने लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही से निरस्त नहीं किए जाने का आदेश पारित किया। अंचल अधिकारी, पतरातू को यह बात संज्ञान में होने के बाद भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित सिविल न्यायालय, रामगढ़ में टाइटल सूट संख्या–68/2021 पहले ही दायर किया गया है, पर विचार किए बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम–घुटुवा का खाता सं०–19 जिसमें प्लॉट सं०–979 रकवा–84 डी० सहित विभिन्न प्लॉट खतियान में बिगलाल सिंह के नाम पर दर्ज है। बिगलाल सिंह अपने पीछे एक पुत्र जय प्रकाश सिंह एवं जय प्रकाश सिंह अपने पीछे दो पुत्र दुबराज सिंह और कबीराज सिंह को छोड़कर फौत कर गए। उक्त दुबराज सिंह बड़े भाई होने के कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लॉट सं०–979 की 84 डी० जमीन रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक–11.03.1960 के माध्यम से रामशंकर प्रसाद अग्रवाल के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी, जिसमें प्लॉट और खाता संख्या लिखने में लिपिकीय भूल के कारण खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 के स्थान पर खाता सं०–69 प्लॉट सं०–679 अंकित हो गया, जो वर्त्तमान विवाद का कारण है। साथ ही उक्त भूमि पर दुबराज सिंह के द्वारा रामशंकर प्रसाद अग्रवाल को कब्जा दे दिया गया तथा उसके बाद विपक्षी के पिता ने उक्त जमीन को अपने अन्य प्लॉट सं०–987 और 988 की जमीन के

साथ मिलाकर उस पर संयुक्त चारदीवारी बना ली। उक्त दुबराज सिंह के भाई कबीराज सिंह ने भी रजिस्टर्ड कबूलनामा दिनांक–11.03.1960 के माध्यम से उक्त बिक्री विलेख की पुष्टि की गई। दिनांक–05.01.1967 को जारी हाल सर्वे अधिसूचना में प्रतिवादी के पिता–रमाशंकर प्रसाद अग्रवाल के प्लॉट सं०–979 रकवा–84 डी० तथा भूमि पर कब्जे को भी स्वीकार किया गया। पुनरीक्षण सर्वेक्षण के दौरान रमाशंकर प्रसाद अग्रवाल और उनके भाई बिगन राम अग्रवाल के नाम से खाता सं०–19 के पुराने प्लॉट सं०–979 के स्थान पर नया प्लॉट सं०–2187 और खाता सं०–195 बनाया गया। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस पर किसी प्रकार की आपति दर्ज नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा विपक्षी पक्ष के पिता–राम शंकर प्रसाद अग्रवाल के नाम से दिनांक–16.06.2022 को नोटिस जारी किया जबकि रामशंकर अग्रवाल का वर्ष–2021 में मृत्यु हो गई है। जिसमें उन्हें प्लॉट सं०–679 रकवा–84 डी० खाता सं०–69 के संबंध में दिनांक–22.06.2022 को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। उक्त नोटिस विपक्षी पक्ष को दिनांक–19.06.2022 को दिया गया था। पक्षकार दिनांक–22.06.2022 को पंद्रह दिन का समय देने की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ, लेकिन अंचल अधिकारी, पतरातू ने दिनांक–27.06.2022 को बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक–27.06.2022 को विपक्षी पक्ष ने आवेदन के माध्यम से अंचल अधिकारी, पतरातू को रामशंकर प्रसाद अग्रवाल की मृत्यु तथा उनके और अन्य द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल जज–IV, रामगढ़ की अदालत मे दायर टाइटल सूट संख्या–68 / 2021 के लंबित होने की जानकारी दी। विपक्षी ने याचिका में यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हजारीबाग में उनके वकील के पास पड़े हैं, और इसलिए जवाब के लिए एक महीने का समय मांगा गया, लेकिन अंचल अधिकारी, पतरातू ने विपक्षी को कारण बताओ नोटिस दाखिल करने या सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना मामले में अंतिम आदेश दिनांक–02.07.2022 को पारित कर दिया गया और विपक्षी के पिता की लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी पर रोक लगा दी और साथ ही रजिस्टर–II में अपीलार्थी के नई जमाबंदी खोलने का निर्देश दिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने अपने दिनांक–12.05.2023 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खाता एवं प्लॉट में भिन्नता प्रथम दृष्टया लिपिकीय भूल प्रतीत होती है तथा किसी भी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जमाबंदी को रद्द किए बिना लंबे समय से चल रही जमाबंदी को स्थगित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी के नाम पर जमाबंदी खोलने का आदेश अंचल अधिकारी, पतरातू के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा भूमि के स्वामित्व से संबंधित मुद्दों के निपटारे के लिए टाइटल सूट संख्या–68 / 2021 भी सिविल न्यायालय, रामगढ़ में लंबित है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राजस्व दस्तावेज के रजिस्टर्ड–II के पृष्ठ संख्या–173/1 पर प्लॉट सं०–979 की भूमि का रामशंकर प्रसाद अग्रवाल के नाम से दाखिल खारिज हो चुका है तथा इसे ऑनलाइन प्रविष्टि में भी अद्यतन किया गया है। यह भी कहा गया है कि विपक्षी कन्हैया प्रसाद अग्रवाल ने 84 डी० जमीन के साथ–साथ अन्य जमीनों पर संयुक्त रूप से चहारदीवारी खड़ी कर दी है और तब से वे उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखने एवं अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पतरातू ने द्वितीय पक्ष महेन्द्र सिंह के आवेदन के आधार पर विविध वाद संख्या–19/2022 संधारित करते हुए आवेदन के परिप्रेक्ष्य मे राजस्व उपनिरीक्षक एव अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को सूचना निर्गत किये जिसपर उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं अभिलेख में दिनांक–02.02.2022 को आदेश पारित किया गया. अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि रकवा–84 डी० भूमि मौजा–घुटवा के खाता सं०–19 प्लॉट सं०–979 की भूमि है, जो सर्वे खतियान मे बिगलाल सिंह वल्द हुथला सिंह के नाम से दर्ज है। जबकि प्लॉट सं०–679 रकवा–06 डी० भूमि मौजा–घुटवा के अन्तर्गत खाता सं०–4 में अंकित भूमि है, जो सर्वे खतियान में शोमलाल बेदिया वगै० कौम–बेदिया के नाम से दर्ज है। वर्तमान में भूमि परती है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपने आदेश में निबंधित केवाला संख्या–1034, दिनांक–11.03.1960 एवं कबुलनामा संख्या–134 दिनांक–05.01.1967 में उल्लेखित भूमि खाता सं०–69 प्लॉट सं०–679 की चौहद्दी में भिन्नता पाई है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने पारित आदेश में अपना मन्तव्य में अंकित किया है कि राजस्व पंजी–II पृ०सं०–173/I पर मौजा–घुटवा के खाता सं०–69 प्लॉट सं०–797 रकवा–84 डी० भूमि रामशंकर प्रसाद अग्रवाल पिता–स्व० हीरा साव के नाम से जमाबंदी इन्द्राज है, जो राजस्व विधि नियम के प्रतिकूल है। इसी आधार पर अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा आदेश पारित करते हुए जमाबंदी विधि संगत नहीं पाकर अपीलार्थी के पिता के नाम से लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी को स्थगित कर दी गई एवं महेन्द्र सिंह वगै० के नाम से राजस्व पंजी में जमाबंदी इन्द्राज कर लगान रसीद निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त तथ्यों के आलोक मे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा वाद संख्या–19/2022 मे दिनांक–02.07.2022 को पारित आदेश को निरस्त किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि विषयगत मामला प्रश्नगत भूमि के खाता–प्लॉट सुधार से संबंधित है। जिसके संदर्भ मे अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा तथ्यों पर बिचार किए बिना व विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भी समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, पतरातू के पारित आदेश को निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विषयगत मामला मौजा–घुटुवा के खाता सं०–19, प्लॉट सं०–979 रकबा–0.84 ए० भूमि से संबंधित है। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उक्त वर्णित भूमि उनके पूर्वजों की खतियानी भूमि है, जिसका क्रय–विक्रय उनके या उनके पूर्वज के द्वारा कभी भी नहीं

किया गया है। दुसरी ओर विपक्षी द्वारा उक्त वर्णित भूमि निबंधित डीड संख्या–1034, दिनांक–13.03.1960 के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते है जिसमें भूलवश खाता–19 के स्थान पर 69 व प्लॉट–979 के स्थान पर 679 हो गया है।

निम्न न्यायालय अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना जल्दबाजी में एक पक्षीय आदेश जैसा आदेश पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करता है व उनके गलत मंशा को उजागर करता है। जिसके संबंध में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ सही प्रकार से समीक्षा करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू के आदेश को निरस्त किया गया है।

स्पष्ट है कि वाद का मुख्य मामला प्रश्नगत भूमि के खाता–प्लॉट सुधार से संबंधित प्रतीत होता है। जिसके संदर्भ में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा तथ्यों पर बिचार किए बिना व विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किए बिना लंबी अवधि से कायम जमाबंदी रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि विभिन्न न्यायालयों यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय L.P.A No.-855/2019 में Md. Rabbani Mian Vs. Union of India & Ors. एवं माननीय उच्च न्यायालय W.P.(C) No.-6609/2013 में Mahendra Singh & Ors. Vs. State of Jharkhand में पारित न्यायादेश में लंबी अवधि से कायम जमाबंदी रद्द करने निमित राजस्व न्यायालय को सक्षम न्यायालय नही माना गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भी समीक्षा के क्रम में अंचल अधिकारी, पतरातू के पारित आदेश को निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन के आलोक मे अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है तत्कालिन अंचल अधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए, अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने निमित अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 21/03/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 21/03/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.04.11 17:56:58 +05:30
Location: 192.168.119.197